न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

म्यूटेशन अपील संख्या : 45/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
जमन पत्नी केराराम जाति जणवा चौधरी निवासी केसुली तहसील देसूरी जिला पाली		1. ढगली पुत्री फुआ, जाति राईका 2. भुराराम पुत्र फुआ, जाति राईका 3. भंवरी पत्नी मांगीलाल, जाति राईका 4. विनोद कुमार पुत्र मांगीलाल, जाति राईका 5. वीराराम पुत्र मांगीलाल, जाति राईका निवासीगण केसूली, तहसील देसूरी जिला पाली 6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार,देसूरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरुद्ध म्यूटेशन संख्या 1108 दिनांक 12.04.2021 जो तहसीलदार,देसूरी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति : अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित

–:निर्णय:–

दिनांक: 03.11.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट जमन पत्नी केराराम जाति जणवा चौधरी निवासी केसूली तहसील देसूरी ने एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत ग्राम केसूली के नामांतरणकरण संख्या 1108 दिनांक 12.04.2021 को निरस्त फरमाने बाबत् प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम केसूली तहसील देसूरी के खसरा न. 479 रकबा 0.9400 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से 0.4800 हेक्टेयर भूमि अपीलांट ने रेस्पोडेंट के पूर्व खातेदार फुआ राम पुत्र भलाजी जाति रायका के आम मुख्तियार केराराम से जरिये रजिस्ट्री दिनांक 10.11.2016 को खरीद की तब से कब्जा बतौर खरीददार अपीलांट काबिज है। अपीलांट ने अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के लिये रजिस्ट्री की नकल तहसील देसूरी में व हल्का पटवारी केसूली को दी लेकिन उन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया व यह कहा की कर देंगें। पटवारी हल्का एवं तहसीलदार देसूरी ने फूआ के वारिसान अर्थात रेस्पोडेंट से साठगांठ कर उनके वारिसान के नाम का म्यूटेशन भर दिया व उनके नाम की खातेदारी दर्ज कर दी जबकि ऐसी कार्यवाही अधीनस्थ तहसीलदार, पटवारी हल्का को नहीं करनी चाहिए थी, जो गलत होने से खारिज योग्य है।

अपीलांट ने हल्का पटवारी से 28.11.2022 को संपर्क किया तो उन्होंने अपीलांट को यह कहा कि फुआ के मरने से और फुआ के लड़के मांगीलाल के मरने से फुआ के एवं मांगीलाल के वारिसान जो रेस्पोडेंट है उनका नाम दर्ज कर दिया है इसलिए चाहे तो अपील कलक्टर साहब के यहां कर दो, तब अपीलांट ने तुरंत प्रभाव से यह अपील प्रस्तुत की। अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार, देसूरी द्वारा ग्राम केसूली के म्यूटेशन संख्या 1108 को खारिज किया जाकर अपीलांट के नाम जारी रजिस्ट्री दस्तावेज के आधार पर खरीद की गई भूमि का नाम दर्ज किये जाने का आदेश किया जावे। अपील के साथ अपीलांट द्वारा जमाबंदी की नकल, नामांतरकरण संख्या 1108 की नकल एवं रजिस्टर्ड बेचाननामे की प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को नोटीस जारी किये गए। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस प्रस्तुत की गईं। तथा रेस्पोडेंट की अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

लगातार..............

CamScanner

प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार अपील में अंकित तथ्यों को झूठलाते हुए म्यूटेशन संख्या 1108 को सही बताया है। रजिस्टर्ड विक्रय अभिलेख को कूटरचित एवं जालसाजी से पूर्व निर्मित खास मुख्तियारनामा द्वारा करना बताते हुए मुख्तियार नामे की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। कूटरचित दस्तावेज होने से कभी पटवारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। विक्रेता खातेदार की मृत्यू के उपरांत ही यह अपील प्रस्तुत की है। अतः तहसीलदार, देसूरी द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन को जारी रखा जावें। अपीलांट अधिवक्ता ने लिखित बहस के जवाब में अपनी बहस प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि आम मुख्तियार की प्रति के बिना रजिस्ट्री नहीं होती। रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने हेतु सिविल न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है।

हमने प्रस्तुत अपील,दस्तावेज,अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत बहस का गंभीरतापूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया एवं इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अपील में प्रस्तुत तथ्य रजिस्टर्ड दस्तावेज अनुसार खातेदार फुआ द्वारा अपनी भूमि में से 0.4800 हेक्टेयर भूमि का बेचान खरीददार को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये किया है उक्त विक्रय विलेख में खातेदार के पुत्र मांगीलाल के साक्षी के रुप में हस्ताक्षर किये गये है ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड बिकावनामें को कूटरचित मानना उचित नहीं होगा। तथापि रेस्पोडेंट यदि यह समझे की उक्त दस्तावेज कूटरचित एवं फर्जी है तो इस संबंध में सिविल न्यायालय से उक्त दस्तावेज को निरस्त करवाने हेतु इमदाद प्राप्त कर सकता है।

अतः प्रकरण तहसीलदार, देसूरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है अपीलांट के रजिस्टर्ड बेचाननामें के दस्तावेज की जांच करते हुये खरीद की गई भूमि का नाम खरीददार अपीलांट के नाम नियमानुसार दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय को पालना हेतु निर्णय भिजवाया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

31/1/23

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली

CamScanner